

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 3896
सोमवार, 24 मार्च, 2025/03 चैत्र, 1947 (शक)

महिला श्रम बल भागीदारी दर

3896. डॉ. बच्छाव शोभा दिनेश:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने देश में महिला श्रम बल भागीदारी दर में वृद्धि करने के लिए राज्यवार कोई अध्ययन कराया है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
- (ग) विगत दस वर्षों के दौरान श्रम बल में शामिल होने वाली भारतीय महिलाओं का ब्यौरा और संख्या क्या है और इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ग): आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) रोजगार और बेरोजगारी का आधिकारिक डेटा स्रोत है जिसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से आयोजित किया जा रहा है। इस सर्वेक्षण की अवधि प्रति वर्ष जुलाई से जून तक होती है।

नवीनतम उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2017-18 से वर्ष 2023-24 के दौरान सामान्य स्थिति के आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं की अनुमानित श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) निम्नानुसार है:

वर्ष	एलएफपीआर (% में)
2017-18	23.3
2018-19	24.5
2019-20	30.0
2020-21	32.5
2021-22	32.8
2022-23	37.0
2023-24	41.7

स्रोत: पीएलएफएस, एमओएसपीआई

यह आंकड़े दर्शाते हैं कि देश में पिछले कुछ वर्षों में महिला श्रम बल भागीदारी में वृद्धि हुई है।

विस्तृत राज्यवार जानकारी पीएलएफएस रिपोर्ट में उपलब्ध है जिसे सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की वेबसाइट https://www.mospi.gov.in/download-reports?main_cat=ODU5&cat=All&sub_category=All पर देखा जा सकता है।

नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। सरकार महिला श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) के साथ-साथ समग्र एलएफपीआर को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई), स्टैंड-अप इंडिया स्कीम, स्टार्टअप इंडिया, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), विज्ञान और इंजीनियरिंग में महिलाएं-किरण (डब्ल्यूआईएसई-किरण), एसईआरबी-पावर (अन्वेषणात्मक अनुसंधान में महिलाओं के लिए अवसरों को बढ़ावा देना), मिशन शक्ति, नमो ड्रोन दीदी और लखपति दीदी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पंडित दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), दीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीवाई-एनयूएलएम), उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन आदि कार्यान्वित कर रही है। भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है।

सरकार, महिला कामगारों की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों और क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से भी उन्हें प्रशिक्षण प्रदान कर रही है।

महिला कामगारों के लिए अनुकूल कार्य वातावरण हेतु श्रम कानूनों में सवैतनिक मातृत्व अवकाश, शिशु देखभाल अवकाश, समान वेतन आदि जैसे अनेक प्रावधान भी शामिल किए गए हैं।

इन सभी पहलों से मध्यम से दीर्घ अवधि में गुणक प्रभाव के माध्यम से इकट्ठे रोजगार सृजन होने की उम्मीद है।

इसके अलावा, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने जनवरी, 2024 में "महिला कार्यबल भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए नियोक्ताओं के लिए परामर्शिका" जारी की। इस परामर्शिका में अन्य बातों के साथ-साथ पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए रोजगार और देखभाल की जिम्मेदारियों के बीच संतुलन की आवश्यकता का उल्लेख किया गया है, जिसमें पितृत्व अवकाश, माता-पिता अवकाश, पारिवारिक आपातकालीन छुट्टी और लचीली कामकाजी व्यवस्था जैसे परिवार अनुकूलन उपाय शामिल हैं।

इसके अलावा, केंद्रीय बजट (2024-25) में कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए उद्योग जगत के सहयोग से कामकाजी महिला हॉस्टलों और शिशुगृह की स्थापना की घोषणा की गई।
